न्यायालय :– श्री दिग्विजय नाथ शुक्ला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी–तेनुघाट।

C.P.– 924/25

रवि कुमार वर्मा... ... ... परिवादी ।

बनाम

जय सिंह ... ... अभियुक्त ।

आदेश

27.07.26 परिवादी **रवि कुमार वर्मा** एवं **अभियुक्त जय सिंह की** ओर से संयुक्त सुलहनामा आवेदन एवं पूर्व नियत तिथि को रिकाल किए जाने से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों के मध्य समझौता के आलोक में पूर्व नियत तिथि को रिकाल किया जाता है

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता भी उपस्थित होकर अभिकथित करते हैं कि इस मामले में परिवादी एवं अभियुक्त के बीच सुलह हो गया है और अभियुक्त ने परिवादी को समझौता धनराशि का भुगतान कर दिया है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकार मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत (परक्राम्य लिखत अधिनियम) के पूर्व सुलह बैठक के माध्यम से निपटारा कराना चाह रहे हैं ।

सुलह के बिंदु पर परिवादी का शपथ पर परीक्षण अभिलिखित किया गया ।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि यह प्रकरण परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध के बारे में विचारण हेतु लंबित है। यह अपराध शमनीय अपराध है, अतः प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत (परक्राम्य लिखत अधिनियम) के पुर्व सुलह बैठक (Pre conciliation sitting)के पीठ के समक्ष भेजा जाता है। कार्यालय संपूर्ण अभिलेख राष्ट्रीय लोक अदालत (परक्राम्य लिखत अधिनियम) के पुर्व सुलह बैठक (Pre conciliation sitting) के पीठ के समक्ष प्रस्तुत करे।

परिवादी और अभियुक्त लोक अदालत के पुर्व सुलह बैठक (Pre conciliation sitting) के पीठ के समक्ष उपस्थित हों।

लेखापित
ह0/–
(दिग्विजय नाथ शुक्ला)
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, तेनुघाट ।

राष्ट्रीय लोक अदालत (परक्राम्य लिखत अधिनियम) ,पुर्व सुलह बैठक (Pre conciliation sitting)
कार्यवाही

पश्चात..27.07.26 अभिलेख दिग्विजय नाथ शुक्ला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से राष्ट्रीय लोक अदालत (परक्राम्य लिखत अधिनियम) के पुर्व सुलह बैठक (Pre conciliation sitting)पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिवादी **रवि कुमार वर्मा** और अभियुक्त **जय सिंह** उपस्थित हैं ।दोनों पक्षों की ओर से मामले में समझौता संपन्न होने का अभिकथन किया गया ।समझौता से संबंधित निबंधनों को अभिलिखित करते हुए पंचाट तैयार किया गया। पंचाट पर दोनों पक्षों एवं पीठ के सदस्यों का हस्ताक्षर अंकित किया गया। पंचाट सहित संपूर्ण अभिलेख दिग्विजय नाथ शुक्ला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में भेजा जाता है।

स्वटंकित

ह0/–
न्यायिक पदाधिकारी
लोक अदालत,
पुर्व सुलह बैठक (Pre conciliation sitting)

ह0/–
सदस्य
लोक अदालत
पुर्व सुलह बैठक (Pre conciliation sitting)

न्यायालय :– श्री दिग्विजय नाथ शुक्ला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी–तेनुघाट।

आदेश

पश्चात..27.07.26 अभिलेख राष्ट्रीय लोक अदालत (परक्राम्य लिखत अधिनियम) के पुर्व सुलह बैठक (Pre conciliation sitting) के समक्ष निष्पादित पंचाट सहित प्राप्त हुआ। पंचाट के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दोनों पक्षों ने इस मामले में सुलह कर लिया है। सुलह से संबंधित निबंधनों को पंचाट में अभिलिखित करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत (परक्राम्य लिखत अधिनियम) के पुर्व सुलह बैठक (Pre conciliation sitting) के पीठ द्वारा पंचाट तैयार किया गया है । पंचाट दोनों पक्षों एवं राष्ट्रीय लोक अदालत (परक्राम्य लिखत अधिनियम) के पुर्व सुलह बैठक (Pre conciliation sitting) के पीठ के सदस्यों द्वारा भी हस्ताक्षरित है।

परिवादी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए और प्रकरण को समझौता एवं राष्ट्रीय लोक अदालत (परक्राम्य लिखत अधिनियम) के पूर्व सुलह बैठक में निष्पादित पंचाट के आलोक में निष्पादित किए जाने की प्रार्थना किये।

दोनों पक्षों को सुना।अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है की इस प्रकरण में दिनांक 09.02.26 को अभियुक्त **जय सिंह** के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध के बारे में कार्यवाही हेतु आदेशिका निर्गत करने का आदेश पारित किया गया। अग्रतर आज दिनांक 27.02.26 को अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध की विशिष्टियां हिंदी में पढ़कर सुनाई और समझाई गई।अभियुक्त ने दोषी होने के अभिवाक को स्वीकार नहीं किया और सुलह का अभिकथन किया।

यह प्रकरण परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध के बारे में विचारण हेतु लंबित है। समझौता के आधार पर मामलों के निष्पादन के संबंध में अपराधों को मुख्यतः शमनीय और अशमनीय अपराध के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध को विधायिका द्वारा शमनीय बनाया गया है। अभिलेख पर राष्ट्रीय लोक अदालत (परक्राम्य लिखत अधिनियम) के पुर्व सुलह बैठक (Pre conciliation sitting) के पीठ के समक्ष दोनों पक्षों के मध्य समझौता से संबंधित निबंधनों को अभिलिखित करते हुए तैयार पंचाट प्राप्त है।
परिवादी ने सुलह के बिंदु पर शपथ पर परीक्षण में अभिकथित किया है कि

01. मैंने इस केस में अभिकथित अभियुक्त जय सिंह के साथ मध्यस्थता केन्द्र समझौता कर लिया हूं।
02. अभिकथित अभियुक्त ने मुझे समझौता धनराशि का भुगतान कर दिया है।
03. अभियुक्त जय सिंह के उपर मेरा और कोई बकाया राशि नहीं रह गया है और उसका कोई भी चेक मेरे पास अब नहीं है।
04. मैं इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता हूं और ना ही मामले को आगे बढ़ाना चाहता हूं।
05. केस समाप्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह दर्शित होता है कि इस मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है।दोनों पक्षों के मध्य समझौता के आलोक में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध का शमन हो गया है,अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 (8)के प्रभाव से अभियुक्त **जय सिंह** को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा अपराध के शमन के आलोक में मामले को निस्तारित किया जाता है । पंचाट आदेश का भाग होगा।

पीठ लिपिक सी आई एस में उचित प्रविष्टि अंकित करें।कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित
ह0/–
(दिग्विजय नाथ शुक्ला)
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, तेनुघाट।